लाल डोरा-मुक्त हरियाणा

हरियाणा के सभी गाँवों को लाल डोरा-मुक्त बना दिया गया है। राज्य सरकार ने 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर गाँवों को "लाल डोरा-मुक्त" बनाने की योजना शुरू की थी।

- यह ड्रोन तकनीक का प्रयोग करके **भू-परिसंपत्तियों की मैपिंग** और **वैधानिक स्वामित्व कार्ड जारी करने** के साथ गाँव के मकान मालिकों को **'अधिकारों का रिकॉर्ड'** प्रदान करके ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में परिसंपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।
    - **इसके तहत प्रत्येक गाँव में ग्रामीण और आवासीय क्षेत्रों का फील्ड सत्यापन** किया गया और 'लाल डोरा' के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक **भू-परिसंपत्ति की मैपिंग का बारीकी से निरीक्षण** किया गया।
- कुछ राज्यों में गाँवों की आबादी वाले क्षेत्र (जिन्हें पंजाब और हरियाणा में **"लाल डोरा"** भूमि और कुछ स्थानों पर **"आबादी"** के रूप में जाना जाता है) को **अधिकतर ऐसे सर्वेक्षणों से बाहर रखा गया था।**
    - कई भारतीय **ग्रामीण समुदायों को दस्तावेज़ी भूमि अधिकार प्राप्त नहीं थे**, इसके बदले में उन्हें आवासीय क्षेत्रों में **भू-स्वामित्व का दावा करने के लिये वास्तविक आधिपत्य पर निर्भर** रहना पड़ता था।
    - ग्रामीण भू-परिसंपत्ति के मालिक बिना किसी कानूनी दस्तावेज़ के **बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी परिसंपत्ति का उपयोग** वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में **नहीं कर सकते** हैं।

और पढ़ें: स्वामित्व योजना

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lal-dora-free-haryana